**उत्तर प्रदेश सरकार**

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या 13/12/93–का–1/1993

लखनऊ, दिनांक 14 अक्टूबर, 1993

दिनांक 14 अक्टूबर, 1993 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ०प्र० शासन।

2—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

3—सचिव, राज्यपाल महोदय, उ०प्र०।

4—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ० प्र०।

5—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।

6—सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद।

7—सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ०प्र०, लखनऊ।

8—निदेशक, उ०प्र० प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।

9—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

डा० जी० डी० माहेश्वरी,

विशेष सचिव।

# उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या 13/12/93-का–1/1993

लखनऊ, दिनांक 14 अक्तूबर, 1993

## अधिसूचना

**प्रकीर्ण**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

## उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993

### भाग एक—सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993" कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2—किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

इन नियमों का लागू होना

3—यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियमावली बनाने की शक्ति के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवरों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

4—यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषायें

5—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर के पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(ग) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश की सरकार" से है;

(ङ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "सेवा" का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यकारी अनुदेशों के अधीन गठित ड्राइवर सेवा से है;

(छ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ज) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

## भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

6—प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य संख्या, उतनी होगी जितनी, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय-समय पर सरकार द्वारा, अवधारित की जाय।

## भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

7—सेवा में किसी पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायगी।

आरक्षण

8—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा।

## भाग चार–अर्हताएं

राष्ट्रिकता

9—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उ०प्र० से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी :–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

आयु

10—सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित या अधिसूचित की जायं पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी। जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

प्राविधिक और शैक्षिक अर्हताएं

11—सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :–

(एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और

(दो) यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाईसेंस नियम-16 के अधीन रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।

12—अन्य बातों के समान होने पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी की सेवा में अधिमान दिया जायगा, जिसने – अधिमानी अर्हता

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

(दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो;

(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो;

13—सेवा में भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा, चरित्र

**टिप्पणी:**– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें।

14—सेवा में भर्ती के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो: वैवाहिक प्रास्थिति

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

15—किसी व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फाइनेंशियल हैण्ड बुक, खण्ड-दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। शारीरिक स्वस्थता

## भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

16—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा और वह प्रमुख समाचार पत्रों में रिक्तियों को विज्ञाप्ति भी करायेगा। रिक्तियों का अवधारण

17—(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :– सीधी भर्ती की प्रक्रिया

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी; अध्यक्ष

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी; सदस्य

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग या संगठन में उपलब्ध न हों तो ऐसे अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे; सदस्य

(चार) संबंधित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो। सदस्य

(2) सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जो ऐसे व्यक्तियों को जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के लिये बुलायेगा।

(3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

## भाग छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18—नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम–17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी चयन में अवधारित की जाय।

परिवीक्षा

19—(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवायें उपनियम (3) के अधीन समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

20—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि–

(एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय;

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21—ड्राइवर के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायगी।

वेतनमान

22—सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23—फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड

24—किसी ड्राइवर को दक्षतारोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न बताया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

पक्ष समर्थन

25—सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अवमुक्त या शिथिल कर सकती है;

व्यावृत्ति

28—इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियासतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

कालिका प्रसाद,

सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/12/93–Ka-1, dated October 14, 1993 :

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

KARMIK ANUBHAG–1

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. 13/12/93–Ka-1/1993

*Dated Lucknow, October* 14, 1993

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service.

## THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT DEPARTMENT DRIVER'S SERVICE RULES, 1993

### PART—I—GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service Rules, 1993.

(2) They shall come into force at once.

Status of Service

2. The service of Drivers in a Government Department or office comprises group 'C' posts.

Application of these rules

3. These rules shall apply to Driver's in a Government department or office under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution.

Over riding effect

4. These rules shall have efect not withstanding anything to the contrary containd in any other rules made by the Governor under proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force.

Definitions

5. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context—

*(a)* "appointing authority" means an authority empowered to make appointment to a post of Driver in a Government Department or office, under relevant service Rules or executive instructions, as the case may be.

*(b)* "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution ;

*(c)* "Constitution" means the Constitution of India ;

*(d)* "government" means the Government of Uttar Pradesh ;

*(e)* "member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service ;

*(f)* "service" means the Service of Drivers in a Government Department or office, Constituted under relevant Service Rules or executive instructions, as the case may be ;

*(g)* "substantive appointment" means an appointment not being an *ad-hoc* appointment on a post in the cadre of the Service made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government ;

*(h)* "year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calender year.

## PART—II—CADRE

Cadre of Service

6. The strength of the Service in each Government Department or office shall be such as may be determined by the Government from time to time under the relevant Service Rules or executive instructions, as the case may be.

## PART—III—RECRUITMENT

Source of recruitment

7. Recruitment to a post in the Service shall be made by direct recruitment.

Reservation

8. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

## PART—IV—QUALIFICATIONS

Nationality

9. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be—

*(a)* a citizen of India, or

*(b)* a Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

*(c)* a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :.

Provided that a candidate belonging to category *(b)* or *(c)* above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided also that if a candidate belonging to category *(b)* will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category *(c)* above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such candidate in service beyond the period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

**Note**—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty-one years and must not have attained the age of more than thirty-two years on the first day of the year of recruitment in which vacancies are advertised or notified :

Provided that the Upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Technical and academic qualifications

11. A candidate for direct recruitment to the service must—

(i) have passed class VIII examination from a recognised educational institution; and

(ii) possess a valid driving licence for heavy or light vehicle, as the case may be, for a period of not less than three years preceding the date on which vacancy is notified to the employment exchange under rule 16.

Preferential qualification

12. A candidate who has—

(i) passed High School examination of the Board of High School and Intermediate education Uttar Pradesh ;

(ii) knowledge of vehicle mechanism; or

(iii) served in the territorial army for a minimum period of two years ;

Shall, other things being equal be given preference in the matter of recruitment to the service.

Character

13. The character of a candidate for recruitment to the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Note—Persons dismissed by the Union Government or a State Govenment or a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or State Government shall be ineligible for recruitment to the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital status

14. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for recruitment to the Service :

Provided that the Government may if satisfied that there exist special grounds for doing so exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

15. No person shall be appointed to service by direct recruitment unless be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment to the service, he shall be required to produce a certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III.

Determination of vacancies

16. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Caste, Schedule Tribes and other categories under rule 8. The appointing authority shall, notify the vacancies to the Employment Exchange in accordance with the rules and orders of the Government for the time being imforce, and he may also advertise the vacancies in the leading newspapers.

Procedure for direct recruitment

17. (1) For the purpose of direct recruitment there shall be constituted a Selection Committee Comprising :—

(i) Appointing authority ; *Chairman*

(ii) An officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe nominated by the appointing authority if the appointing authority does not belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe. If the appointing authority belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, an officer other than belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, to be nominated by the appointing authority ; *Member*

(iii) Two officers nominated by the appointing authority, one of whom shall be an officer belonging to Minority Community and the other belonging to Backward Class. If such suitable officers are not available in his department or organisation, such officers shall on the request of the appointing authority be nominated by the concerned District Magistrate ; *Members*

(iv) Regional Transport Officer of the concerned region or his nominee not below the rank of Assistant Regional Transport Officer. *Member*

(2) The applications received directly or through the employment Exchange shall be scrutinised by the appointing authority who shall call for an interview and driving test to such persons as appear qualified under these rules.

(3) The Selection Committee shall, after the interview and driving test prepare a list of candidates in order of their profiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by them in interview and driving test. If two or more candidates obtain equal marks, the Selection Committee shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the post. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25%) than the number of the vacancies. The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority.

## PART VI—APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

18. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 17.

(2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.

Probation

19. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation of extended period of probation that a probationed has not made sufficient use of his opportunities, or has otherwise failed to give satisfaction his services may be dispensed with.

(4) A probationer whose services are dispensed with under-sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation

20. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation if—

(i) his work and conduct are found to be satisfactory ;

(ii) his integrity is certified; and

(iii) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

21. The seniority of persons substantively appointed to the posts of driver shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991 as amended from time to time.

## PART VII—PAY ETC.

Scale of pay

22. The scale of pay admissible to a person appointed to a post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

Pay during probation

23. Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and also confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

Criterion for crosing efficiency bar

24. No driver shall be allowed to cross the efficiency bar unless, his work and conduct are reported to be satisfactory and his integrity is certified,

## PART VIII—OTHER PROVISIONS

Convassing

25. No recommendations, either written or oral, other than these required under these rules applicable to the Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature by other means shall disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

26. In regard to matters not specifically covered by these rules, or by special orders persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation in the conditions of service

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Saving

28. Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
KALIKA PRASAD,
*Sachiv.*

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 5 सा० नियुक्ति—15-5-97—(374)—1997—2000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।